International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 10 Issue: 11 | Nov - 2026 SJIF Rating: 8.659 ISSN: 2582-3930

भारतीय कॉर्पोरेट कर कटौतियों की विधिक संरचना एवं न्यायिक प्रवृत्तियाँ : कर-न्याय, व्यावसायिक औचित्य और दुरुपयोग नियंत्रण का समालोचनात्मक अध्ययन

अभयराज मिश्रा
शोधार्थी, विधि संकाय
डॉ. (सियाराम शुक्ल)
एसोसिएट प्रोफेसर – विधि संकाय
नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवां, जमुनीपुर, दुबावल, प्रयागराज (उ.प्र.)

सारांश

भारतीय आयकर व्यवस्था में कॉर्पोरेट कर कटौतियाँ राजस्व निर्धारण का साधन होने के साथ-साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, रोजगार-सृजन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली महत्त्वपूर्ण विधिक व्यवस्था हैं। इन कटौतियों का मूल उद्देश्य कंपनियों की वास्तविक करयोग्य आय का निर्धारण करना है, किंतु व्यावसायिक व्यय, मूल्यह्रास, पूंजीगत निवेश, सामाजिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक अंशदान तथा संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन जैसी गतिविधियों ने इस व्यवस्था को जटिल बना दिया है। परिणामस्वरूप वास्तविक व्यावसायिक व्यय और कृत्रिम कर-बचाव के बीच विधिक सीमा निर्धारित करना न्यायपालिका तथा कर प्रशासन के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय कॉर्पोरेट कर कटौतियों की वैधानिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित न्यायिक सिद्धांतों और कर-प्रशासन संबंधी चुनौतियों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विकसित न्यायिक सिद्धांतों के साथ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 की प्रासंगिक व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है। विशेष रूप से व्यावसायिक औचित्य, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का वर्गीकरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, अस्पष्टीकृत जमा, राजनीतिक वित्तपोषण और रियायती कर व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द: कॉर्पोरेट कराधान, आयकर कटौती, व्यावसायिक औचित्य, कर-न्याय, मूल्यह्रास, कर-अपवंचन, न्यायिक व्याख्या, आयकर अधिनियम 2025।

1. प्रस्तावना

किसी राष्ट्र की कर व्यवस्था केवल राजस्व संग्रह करने वाली प्रणाली नहीं होती, बल्कि वह उसकी आर्थिक प्राथमिकताओं, सामाजिक दायित्वों और विधिक न्याय की अवधारणा को भी अभिव्यक्त करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कंपनियाँ उत्पादन, व्यापार, पूंजी निर्माण, रोजगार तथा तकनीकी विकास की प्रमुख संस्थाएँ हैं। इसलिए उनके कराधान का प्रभाव केवल कंपनी और राजकोष के संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि श्रमिकों, निवेशकों, उपभोक्ताओं तथा समग्र अर्थव्यवस्था तक विस्तृत होता है।

कॉर्पोरेट आयकर का आधार इस सामान्य सिद्धांत में निहित है कि कराधान वास्तविक करयोग्य आय पर होना चाहिए। किसी कंपनी की कुल व्यापारिक प्राप्तियाँ उसकी वास्तविक आय नहीं होतीं। उत्पादन, कर्मचारियों के वेतन, कच्चे माल, परिवहन, अनुसंधान, ऋण पर ब्याज, परिसंपत्तियों के रखरखाव और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किए गए व्यय को समुचित रूप से समायोजित करने के बाद ही उसकी करयोग्य आय निर्धारित की जा सकती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 यह सुनिश्चित करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर का अधिरोपण अथवा संग्रह नहीं किया जा सकता। इसी संवैधानिक आधार पर कर लगाने तथा वैधानिक कटौती प्रदान करने की व्यवस्थाएँ निर्मित होती हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(17) कंपनी की विधिक पहचान को समझने में महत्त्वपूर्ण रही हैं।[1]

कॉर्पोरेट कराधान में कंपनी का स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व निर्णायक है। कंपनी की आय उसके शेयरधारकों की व्यक्तिगत आय से पृथक होती है। इसी कारण उसके व्यापारिक खर्च, परिसंपत्तियाँ, दायित्व, हानियाँ और कर-कटौतियाँ स्वतंत्र परीक्षण का विषय बनती हैं।

2. अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कॉर्पोरेट कर कटौतियों की वैधानिक और न्यायिक संरचना का विश्लेषण करते हुए यह निर्धारित करना है कि वास्तविक व्यापारिक व्यय की स्वीकृति तथा कर-अपवंचन की रोकथाम के बीच न्यायसंगत संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यह अध्ययन मुख्यतः विधिक-सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में संविधान, आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सम्मिलित किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में कर प्रशासन सुधार संबंधी प्रतिवेदन, प्रामाणिक कर-विधि साहित्य और अंतरराष्ट्रीय कर-नीति संबंधी अध्ययन शामिल हैं। यह अनुभवजन्य सर्वेक्षण नहीं, बल्कि न्यायिक सिद्धांतों और विधायी व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक अध्ययन है।

3. कॉर्पोरेट कर कटौतियों की वैधानिक अवधारणा और विधायी परिवर्तन

आयकर अधिनियम, 1961 में व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ और अभिलाभ की गणना के लिए धारा 28 से 44 तक की व्यवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण थीं। इनमें धारा 30 से 36 विशिष्ट प्रकार के व्ययों और भत्तों से संबंधित थीं, जबकि धारा 37(1) सामान्य व्यावसायिक व्यय की स्वीकार्यता का व्यापक आधार प्रदान करती थी।

धारा 37(1) के अंतर्गत ऐसा व्यय कटौती योग्य हो सकता था जो विशिष्ट कटौती-धाराओं में सम्मिलित न हो, पूंजीगत अथवा निजी प्रकृति का न हो और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए पूर्णतः तथा अनन्यतः किया गया हो।[2] इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य वास्तविक व्यावसायिक लाभ का निर्धारण था, न कि व्यापारिक गतिविधियों पर अनावश्यक वित्तीय भार डालना।

1 अप्रैल 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 ने पूर्ववर्ती अधिनियम की संरचना को पुनर्गठित किया है। नए अधिनियम की धारा 34 सामान्य व्यावसायिक कटौती की शर्तों को व्यवस्थित करती है।

इसमें व्यवसाय के प्रयोजन से किए गए वास्तविक व्यय की स्वीकार्यता के साथ विधि-विरुद्ध व्यय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित व्यय तथा कुछ राजनीतिक विज्ञापन व्ययों के निषेध को भी स्पष्ट किया गया है।[3]

दोनों अधिनियमों के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों का संबंध इस प्रकार है—

आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम, 2025	विषय
धारा 37	धारा 34	सामान्य व्यावसायिक व्यय
धारा 14A	धारा 14	कर-मुक्त आय से संबंधित व्यय
धारा 68	धारा 102	अस्पष्टीकृत जमा
धारा 69C	धारा 105	अस्पष्टीकृत व्यय
धारा 80GGB	धारा 136	कंपनियों के राजनीतिक अंशदान
धारा 80JJAA	धारा 146	अतिरिक्त कर्मचारी लागत
धारा 80M	धारा 148	अंतर-कंपनी लाभांश
धारा 115BAA	धारा 200	घरेलू कंपनियों की रियायती कर व्यवस्था
धारा 115BAB	धारा 201	पात्र विनिर्माण कंपनियों की विशेष व्यवस्था
धारा 115JB	धारा 206	न्यूनतम वैकल्पिक कर

यह परिवर्तन केवल धाराओं के पुनःक्रमांकन तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। विधायी भाषा को अधिक सुव्यवस्थित बनाना, दावों की शर्तें स्पष्ट करना और अनुपालन संबंधी अस्पष्टता कम करना भी इसका उद्देश्य है।

फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है कि पुराने अधिनियम के अंतर्गत विकसित न्यायिक सिद्धांत अपने-आप अप्रासंगिक नहीं हो जाते। जहाँ नवीन अधिनियम में समतुल्य प्रावधान का मूल विधिक आशय सुरक्षित है, वहाँ पूर्ववर्ती न्यायिक व्याख्याएँ मार्गदर्शक बनी रह सकती हैं। किंतु किसी पुराने निर्णय को लागू करते समय संबंधित कर-वर्ष, नवीन विधायी भाषा तथा संक्रमणकालीन प्रावधानों का परीक्षण आवश्यक है।

4. व्यावसायिक औचित्य और कर-कटौती की न्यायिक कसौटी

कॉर्पोरेट कर कटौतियों के संबंध में भारतीय न्यायपालिका का अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान व्यावसायिक औचित्य की अवधारणा का विकास है। इसका मूल विचार यह है कि किसी खर्च की उपयोगिता केवल तत्काल आर्थिक लाभ से निर्धारित नहीं की जा सकती।

आयकर आयुक्त बनाम वालचंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि व्यापारिक खर्च के औचित्य का परीक्षण मुख्यतः व्यवसायी की दृष्टि से किया जाना चाहिए। कर अधिकारी अपनी व्यावसायिक समझ को कंपनी के निर्णय का स्थानापन्न नहीं बना सकता।[4] इस निर्णय का महत्त्व इसलिए है कि व्यापार केवल निश्चित लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जोखिम,

प्रतिस्पर्धा, निवेश और भविष्य की संभावनाओं से संचालित गतिविधि है। कोई व्यय तत्काल लाभ उत्पन्न न करने पर भी बाजार में कंपनी की स्थिति सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हो सकता है।

आयकर आयुक्त बनाम मलयालम प्लांटेशंस लिमिटेड में न्यायालय ने व्यवसाय के प्रयोजन की अवधारणा को विस्तृत अर्थ प्रदान किया। इसके अंतर्गत व्यवसाय का संचालन, संरक्षण, प्रशासनिक सुविधा तथा व्यापारिक हितों की सुरक्षा भी सम्मिलित हो सकती है।[5] इसी प्रकार **ससून जे. डेविड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त** में यह स्पष्ट हुआ कि किसी खर्च का अनिवार्य होना उसकी स्वीकार्यता की सार्वभौमिक शर्त नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि खर्च का उद्देश्य वास्तव में व्यवसाय से संबंधित था या नहीं।[6]

इन निर्णयों से तीन सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, व्यावसायिक खर्च का वास्तविक होना आवश्यक है। दूसरा, खर्च का व्यवसाय से पर्याप्त संबंध होना चाहिए। तीसरा, कर प्रशासन को व्यापारिक निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करते समय न्यायिक संयम अपनाना चाहिए। ऋण और ब्याज व्यय से संबंधित विवादों में यह सिद्धांत अधिक जटिल हो जाता है।

एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापारिक उपयुक्तता की कसौटी अपनाई। यदि कंपनी ने अपनी सहायक संस्था को व्यवसायिक हितों की पूर्ति के लिए धन उपलब्ध कराया है, तो केवल इस आधार पर ब्याज कटौती अस्वीकार नहीं की जा सकती कि उस अग्रिम से कंपनी को प्रत्यक्ष आय नहीं हुई।[7]

हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में भी उपलब्ध निधियों और वास्तविक व्यापारिक प्रयोजन की महत्ता रेखांकित की गई।[8]

इन निर्णयों का संयुक्त प्रभाव यह है कि कर अधिकारी को खर्च की वास्तविकता और उद्देश्य जाँचने का अधिकार अवश्य है, किंतु वह केवल अनुमान के आधार पर व्यापारिक निर्णय को अनुचित घोषित नहीं कर सकता।

यहाँ एक आवश्यक सीमा भी है। व्यावसायिक विवेक की न्यायिक मान्यता कंपनी को प्रत्येक भुगतान को व्यापारिक बताने की असीमित स्वतंत्रता नहीं देती। संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान, असामान्य शुल्क और संदिग्ध लेन-देन का तथ्यात्मक परीक्षण अब भी आवश्यक है।

इस प्रकार न्यायालयों ने व्यापारिक स्वतंत्रता और राजस्व-संरक्षण के बीच संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया है।

5. पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय एवं मूल्यह्रास की समस्याएँ

कॉर्पोरेट कर विवादों का एक बड़ा क्षेत्र पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का वर्गीकरण है। यह अंतर इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य व्यावसायिक व्यय को संबंधित कर-वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जबकि पूंजीगत व्यय का कर-उपचार सामान्यतः विशिष्ट भत्तों, मूल्यह्रास अथवा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है।

सामान्यतः राजस्व व्यय व्यवसाय के दैनिक संचालन से संबंधित होता है, जबकि पूंजीगत व्यय किसी परिसंपत्ति, संरचना अथवा स्थायी व्यावसायिक आधार के निर्माण से जुड़ सकता है। किंतु यह विभाजन सदैव सरल नहीं होता।

एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी खर्च से दीर्घकालिक लाभ की संभावना उत्पन्न होना मात्र उसे पूंजीगत व्यय घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि व्यय व्यवसाय के संचालन को अधिक सक्षम बनाता है, किंतु स्थायी पूंजी संरचना में वास्तविक वृद्धि नहीं करता, तो परिस्थितियों के आधार पर उसे राजस्व व्यय माना जा सकता है।[9]

आधुनिक उद्योगों में यह सिद्धांत विशेष महत्त्व रखता है। सॉफ्टवेयर, तकनीकी ज्ञान, उत्पादन विधियों और विशेषज्ञ सेवाओं का आर्थिक उपयोग कई बार लंबे समय तक चलता है, लेकिन उनका तकनीकी अप्रचलन भी अपेक्षाकृत शीघ्र हो सकता है।

अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में न्यायालय ने तकनीकी ज्ञान पर किए गए खर्च की प्रकृति निर्धारित करते समय उसकी वास्तविक व्यावसायिक भूमिका और संबंधित परिस्थितियों को महत्त्व दिया।[10]

मूल्यह्रास की दृष्टि से **मैसूर मिनरल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त** महत्त्वपूर्ण है। इसमें परिसंपत्ति के स्वामित्व की व्याख्या करते समय वास्तविक आर्थिक अधिकार, निवेश और व्यवसाय में उपयोग को महत्त्व दिया गया।[11]

मूल्यह्रास की व्यवस्था का उद्देश्य केवल परिसंपत्ति के भौतिक क्षरण की गणना नहीं है। यह पूंजीगत निवेश की लागत को निर्धारित अवधि में कर गणना के अंतर्गत समायोजित करने की विधि भी है। इसलिए किसी कंपनी द्वारा मशीनरी अथवा तकनीकी परिसंपत्ति के उपयोग की वास्तविकता और वैधानिक पात्रता निर्णायक होती है।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही खर्च पर दोहरी कटौती की समस्या का परीक्षण करते हुए स्पष्ट किया कि विधि में स्पष्ट अनुमति के अभाव में समान खर्च के लिए दोहरा कर-लाभ स्वीकार नहीं किया जा सकता।[12]

इस सिद्धांत का व्यापक महत्त्व है। कंपनी एक ही खर्च को अनुसंधान, मूल्यह्रास और सामान्य व्यावसायिक व्यय के रूप में पुनः प्रस्तुत करके एकाधिक कटौती प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक संबंधित विधायी व्यवस्था इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।

इसके अतिरिक्त **रोटॉर्क कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त** में न्यायालय ने वारंटी संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में वास्तविक वर्तमान दायित्व, विश्वसनीय अनुमान और व्यावसायिक अनुभव को महत्त्व दिया।[13]

इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि कॉर्पोरेट लेखांकन और आयकर गणना के बीच संबंध होने पर भी दोनों पूर्णतः समान नहीं हैं। कंपनी की लेखा-पुस्तकों में कोई व्यय या प्रावधान दर्ज होना कर-कटौती की पर्याप्त शर्त नहीं है। उसके लिए विधिक पात्रता का स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कर-कटौती का विधिक प्रश्न

आधुनिक कॉर्पोरेट शासन में कंपनियों का सामाजिक उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 ने निर्धारित श्रेणी की कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की वैधानिक व्यवस्था स्थापित की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कंपनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों में योगदान के लिए उत्तरदायी बनाना है। किन्तु कोई खर्च सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है, इससे वह स्वतः कर-कटौती योग्य नहीं बन जाता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 2 तथा आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 34(2)(ख) में धारा 135 से संबंधित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को सामान्य व्यावसायिक कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है।[14]

कॉर्पोरेट व्ययों की स्वीकार्यता में सार्वजनिक नीति भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उप आयकर आयुक्त में सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को प्रदान किए गए निषिद्ध उपहारों के संदर्भ में स्पष्ट किया कि विधि अथवा संबंधित व्यावसायिक आचरण नियमों के विरुद्ध व्यय को सामान्य व्यवसायिक कटौती का संरक्षण नहीं मिल सकता।[15] यह निर्णय कर-कानून के नैतिक और सार्वजनिक पक्ष को स्पष्ट करता है। कोई कंपनी व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च करे, किंतु वह खर्च विधि द्वारा निषिद्ध हो, तो व्यापारिक उद्देश्य मात्र उसके कर-उपचार को वैध नहीं बना सकता। इस प्रकार व्यापारिक आवश्यकता, सामाजिक उपयोगिता और वैधानिक स्वीकार्यता तीन अलग-अलग कसौटियाँ हैं। कर कटौती के निर्धारण में इनके बीच अंतर करना आवश्यक है।

08. कॉर्पोरेट कर कटौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन

उपर्युक्त विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों का अध्ययन यह दर्शाता है कि भारतीय कॉर्पोरेट कर-कटौती व्यवस्था मुख्यतः तीन परस्पर संबंधित आधारों पर विकसित हुई है—व्यावसायिक वास्तविकता की मान्यता, वैधानिक पात्रता की अनिवार्यता और कर-अपवंचन पर नियंत्रण।

प्रथम दृष्टया ये तीनों सिद्धांत एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं, किंतु व्यवहार में इनके बीच तनाव उत्पन्न होता है। व्यापारिक वास्तविकता का अत्यधिक उदार परीक्षण कृत्रिम व्ययों को संरक्षण प्रदान कर सकता है, जबकि अत्यधिक कठोर परीक्षण वास्तविक व्यापारिक निर्णयों को बाधित कर सकता है।

कर अधिकारी का कार्य व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का पूर्वानुमान करना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक उद्देश्य तथा वैधानिक परिणामों का परीक्षण करना है। किसी निवेश का असफल हो जाना उसके प्रारंभिक व्यापारिक उद्देश्य को स्वतः असत्य नहीं बना देता। इसी प्रकार लाभकारी परिणाम प्राप्त हो जाने से अवैध अथवा बनावटी भुगतान वैध नहीं हो जाता।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रमाण के भार से संबंधित है। कॉर्पोरेट करदाता के पास सामान्यतः व्यवस्थित लेखा-पुस्तकें, लेखा-परीक्षा, निदेशक मंडल के निर्णय, बैंकिंग विवरण और वित्तीय सलाहकार उपलब्ध होते हैं। इसलिए उसके कटौती-दावों में पर्याप्त दस्तावेजी अनुशासन अपेक्षित है।

किंतु प्रमाण के भार को असीमित नहीं बनाया जा सकता। कंपनी द्वारा युक्तियुक्त प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद कर प्रशासन को भी अपने प्रतिकूल निष्कर्षों का तथ्यात्मक आधार उपलब्ध कराना चाहिए।

12. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

कॉर्पोरेट कर कटौती का मूल उद्देश्य कंपनियों की वास्तविक करयोग्य आय का निर्धारण करना है। वैध व्यावसायिक खर्च की स्वीकृति कर-न्याय की आवश्यक शर्त है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापारिक औचित्य की व्याख्या करते हुए कंपनियों के वास्तविक व्यावसायिक विवेक को महत्त्व दिया है। तथापि इस संरक्षण की सीमा विधिक वैधता और तथ्यात्मक वास्तविकता द्वारा निर्धारित होती है।

पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के बीच अंतर केवल किसी खर्च के दीर्घकालिक प्रभाव से निर्धारित नहीं किया जा सकता। खर्च की वास्तविक प्रकृति, उद्देश्य तथा परिसंपत्ति-संबंधी परिणाम का संयुक्त परीक्षण आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक अंशदान के संबंध में सामाजिक उपयोगिता, सार्वजनिक पारदर्शिता और कर-कटौती की वैधानिक पात्रता अलग-अलग प्रश्न हैं।

शेल कंपनियों और अस्पष्टीकृत वित्तीय लेन-देन से संबंधित मामलों में निवेशक की पहचान, वित्तीय क्षमता और वास्तविक लेन-देन का परीक्षण आवश्यक है। केवल औपचारिक दस्तावेज पर्याप्त नहीं माने जा सकते।

13. सुझाव

कॉर्पोरेट कर कटौतियों को अधिक प्रभावी तथा न्यायसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी हो सकते हैं।

1. विधिक स्पष्टता का संवर्धन: आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत व्यावसायिक खर्च, संबंधित पक्ष भुगतान और विशेष कटौतियों से जुड़े प्रमुख प्रश्नों पर स्पष्ट प्रशासनिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2. जोखिम-आधारित कर परीक्षण: सभी कंपनियों पर समान स्तर की जाँच के स्थान पर असामान्य वित्तीय प्रविष्टियों, संदिग्ध भुगतान, अत्यधिक शेयर प्रीमियम और अस्पष्टीकृत स्रोतों वाले मामलों को जोखिम-आधारित परीक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. दस्तावेजी अनुशासन: कंपनियों को अपने प्रमुख व्यावसायिक खर्चों के लिए अनुबंध, सेवा-प्रमाण, वित्तीय स्वीकृति, बैंकिंग विवरण तथा संबंधित पक्ष प्रकटीकरण व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने चाहिए।

4. कर प्रोत्साहनों का परिणाम-आधारित मूल्यांकन: रोजगार, उत्पादन और औद्योगिक निवेश से संबंधित कर रियायतों का समय-समय पर उनके वास्तविक आर्थिक परिणामों तथा राजस्व लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. भारत सरकार। (1950)। भारत का संविधान। अनुच्छेद 265 एवं सातवीं अनुसूची। भारत सरकार। (2013)। कम्पनी अधिनियम, 2013। धारा 2(20)।
2. भारत सरकार। (1961)। आयकर अधिनियम, 1961। धारा 28 एवं धारा 30 से 37।
3. भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 34। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. आयकर आयुक्त बनाम वालचंद एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, (1967) 65 आई.टी.आर. 381 (सर्वोच्च न्यायालय)।
5. आयकर आयुक्त बनाम मलयालम प्लांटेशंस लिमिटेड, (1964) 53 आई.टी.आर. 140 (सर्वोच्च न्यायालय)।
6. ससून जे. डेविड एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1979) 118 आई.टी.आर. 261 (सर्वोच्च न्यायालय)।
7. एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2007) 288 आई.टी.आर. 1 (सर्वोच्च न्यायालय)।
8. हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2015) 379 आई.टी.आर. 347 (सर्वोच्च न्यायालय)।
9. एम्पायर जूट कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1980) 124 आई.टी.आर. 1 (सर्वोच्च न्यायालय)।
10. अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1989) 177 आई.टी.आर. 377 (सर्वोच्च न्यायालय)।
11. मैसूर मिनरल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1999) 239 आई.टी.आर. 775 (सर्वोच्च न्यायालय)।
12. एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1993) 199 आई.टी.आर. 43 (सर्वोच्च न्यायालय)।
13. रोटॉर्क कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2009) 314 आई.टी.आर. 62 (सर्वोच्च न्यायालय)।
14. भारत सरकार। (2013)। कम्पनी अधिनियम, 2013। धारा 135। भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 34(2)(ख)।
15. एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उप आयकर आयुक्त, (2022) 442 आई.टी.आर. 1 (सर्वोच्च न्यायालय)।
16. भारत सरकार। (1961)। आयकर अधिनियम, 1961। धारा 68। भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 102।
17. आयकर आयुक्त बनाम दुर्गा प्रसाद मोर, (1971) 82 आई.टी.आर. 540 (सर्वोच्च न्यायालय)।
18. सुमति दयाल बनाम आयकर आयुक्त, (1995) 214 आई.टी.आर. 801 (सर्वोच्च न्यायालय)।
19. प्रधान आयकर आयुक्त बनाम एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, (2019) 412 आई.टी.आर. 161 (सर्वोच्च न्यायालय)।
20. भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 105। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
21. भारत सरकार। (1961)। आयकर अधिनियम, 1961। धारा 80जीजीबी। भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 136।
22. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 2024 आई.एन.एस.सी. 113, निर्णय दिनांक 15 फरवरी 2024, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
23. लिबर्टी इंडिया बनाम आयकर आयुक्त, (2009) 317 आई.टी.आर. 218 (सर्वोच्च न्यायालय)।
24. आयकर आयुक्त बनाम मेघालय स्टील्स लिमिटेड, (2016) 383 आई.टी.आर. 217 (सर्वोच्च न्यायालय)।
25. भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 146। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
26. भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 200 एवं 201। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

27. अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2002) 255 आई.टी.आर. 273 (सर्वोच्च न्यायालय)। भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 206।
28. मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2018) 402 आई.टी.आर. 640 (सर्वोच्च न्यायालय)।
29. गोएट्ज़ (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2006) 284 आई.टी.आर. 323 (सर्वोच्च न्यायालय)।
30. आयकर आयुक्त बनाम रिलायंस पेट्रोप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, (2010) 322 आई.टी.आर. 158 (सर्वोच्च न्यायालय)।
31. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। (2015)। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा जी-20 की कराधान आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण परियोजना का व्याख्यात्मक विवरण। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन प्रकाशन।